

प्रतिक 10/न्यू-12/2004गा।०

स्वाहार शरकार
ग्रन्थालय प्रियों सिंहामि।

पु.३

ताता ग.

मी हेमवन्द ला
शरकार के अधिकारी परिषद्।

लिखा, घोड़ आम नैकेन्डु एजेंशन,
रेक्षा केन्द्र कम्पनी नैन्देर, पौत बिहार
प्रियों मामि, नैन्देला-११००७

APPENDIX

पटना, दिनांक १८ अगस्त २००५

प्रियों:- राज्य के निजी पिंडालयों को नैन्दा लोड नैकेन्दु लालुकोइन,
नैन्देला से सम्पर्क के लिए उन्नति प्रयत्न-पत्र प्रियों करने के
लिए ।

वहांसाह,

मिट्रोराजुरार उपस्थिति पिंड नी गोर आपका प्रधान आप्टेक करते हुए
कहता है कि दिनांक ७-१२-२००४ को निजी पिंडालयों को उन्नति प्रयत्न-पत्र
प्रियों के लिए जाने के लिए उच्चस्तरीय समिति की बीठ में तथा कानिंहा तो ऐसे गए
नियम के आतोंक में निम्नांकित निजी पिंडालयों को तीनबी०साँहो, नैन्देला
से सम्पर्क के लिए उन्नति प्रयत्न-पत्र इस प्राप्त होने के बाद राज्य शरकार के प्रियों लाय के
प्राक्क/प्राक्केतर कर्मियों के समक्ष प्रेतनांदि के भूतान विद्यालय के प्राक्क/प्राक्केतर
कर्मियों को करना होगा ।

- ११। पौ०ती० हाँड़ स्कूल, परसा, समस्तीपुर
१२। ३००भी० पञ्चिक स्कूल, दाउदनगर, गोरगांवाट
१३। देरो हंगिरा स्कूल, पिंडपति घोड़, कट्टलापाड़ी, दरभंगा
१४। गरारिया पञ्चिक स्कूल, गरारिया
१५। निन्दु पञ्चिक स्कूल, पूर्णिया
१६। बुलिरोन्ट पञ्चिक स्कूल, पुरानी पिजामी कलियोनी, जहानाबाद
१७। ३००भी० पञ्चिक स्कूल, मानपुर, कझीया, गया ✓
१८। जपहिन्द पञ्चिक स्कूल, पिजामनगर, गया कोभी रोड, घोपगाँ
१९। ३०० राजा हाँड़ स्कूल, धी०स्य० दारा रोड, पटना
२०। बानस्थां हाँड़ स्कूल, आतमगंज घोड़, पटना
२१। १०००डी०१०१० कन्धेन्द स्कूल, घादनी घोड़, शोणपुर
२२। लट माछिला स्कैडों किं छंगिरामा मी डियम। कमलनाथनगर, बोतिया।
२३। बुद्धा पञ्चिक स्कूल ०३, गुरुगुरुनगर, गया।
२४। दाँड़ा राजियन स्कूल सरियन स्कूल नड़र घोड़, धैती रोड, पटना

प्रियों साहबों,

हेमवन्द ला
शरकार के अधिकारी परिषद्।

प्रियों परी००१००।

कार्यालय

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

पुतिलिपि राधिपति जिता पट्टापिलारी/राधिपति क्षेत्रीय प्रभारी 34
निवेदिक/राधिपति जिता विश्वापदापिलारी/राधिपति विश्वापदापदार्थ
एवं अधिकारी गृहाधीर्षण प्रभारी ।

२- राज्यपाल गुनकार का सुनिश्चित फरमे हेतु किमान द्वारा, पुस्तिलिपि
उपरोक्त एक घार पिश्वापदापदार्थ का भिरी खालीकिया जाएगा ।

३- निम्नांकित प्रारंभिक विद्युतयोग्य की नियम उपरोक्त उपरोक्त
निरस्त/घारा लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकता है:-

१ का १ विद्युतयोग्य द्वारा विद्युतयोग्य के विकल्पों/विकल्पोंतर जारी की रख्य
सरकार के विद्युतयोग्य के कार्रवाई के रागक्ष ऐतरें इन अन्तर्गत के सुनातन
नहीं किया जा रहा है अथवा भूतान में अधिक उपकार्य नहीं की रहा है

२ का १ ग्रामपालित प्रमाणात्मक नियमांकित कागजात का अधिसेवन नहीं किया
जाने अथवा प्रारंभिक विधियों विनाश होने पर,

३ का १ विद्युतयोग्य में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद्द के
तिर राज्यिकों की व्यक्तियोग्य विधान द्वारा भूमि में व्यापार जा रहा हो,
विद्युतयोग्य ऐसी गतियिपि भूमिग्रन्थ हो जो राज्य के द्वितीय राज्य
सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो स्वीकार्य की जा रही हो, जिसमें ग्रामपालित विधियों विनाश होना लगता है।

४ का १ ग्रामपालित प्रमाणात्मक के अनुरूप भवनों में ग्रामपालित प्रमाणात्मक के
अनुरूप विद्युतयोग्य की संषेद नियमीरित नहीं किए जाने वार ।

सरकार के नियमित राजित ।

प्राप्तक १५ पुतिलिपि तांचिं, निदेशकामार्गशिरो/निदेशकामार्गशिरो/तंतुकता विधि
निवारकात्तिवाचन विकारी कियाग, विहार, पटना को सुनाताधीर्षण ।

सरकार के नियमित राजित ।

प्राप्तक १६ पुतिलिपि ग्रामनीय मंत्री/राज्य ग्रामप्रयोग एवं ग्रामप्रयोग
विकारी कियाग, विहार, पटना को सुनाताधीर्षण ।

सरकार के नियमित राजित ।